

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 89 / 2016

तारीख रजु 01.07.2016

उनवान

सुमरन पुत्र श्री प्रभू बगै० जाति जाटव निवासी भुकरावली तहसील हिण्डौन जिला करौली

---वादी

बनाम

मु० केसर बेवा कल्लू वगै० जाति जाटव निवासी भुकरावली तहसील हिण्डौन जिला करौली
-----प्रतिवादीगण 04

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री रामदयाल गुप्ता एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- कोई नहीं


निर्णय

दिनांक 10.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बावत् स्थाई निषेद्याज्ञा स्थित ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डौन के खसरा न. 2184, 2190, 2191, 2193 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी दावा मुकदमा नंबर 89/2016 सुमरन बनाम केसर, अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


10.02.2020
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

